# स्थानीय राजपत्र

भुम्लु गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित

खण्ड ३ संख्या १ मिति २०७६ श्रावण ३ गते

## भाग १

## भुम्लु गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

## सल्ले, काभ्रेपलाञ्चोकको

## सूचना

भुम्लु गाउँसभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७६

**प्रस्तावनाः** भुम्लु गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम भुम्लु गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्तनाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम“आर्थिक ऐन, २०७६” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७६ साल श्रावण १ गतेदेखि भुम्लु गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पति करः** गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर (घर जग्गा कर) लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत)** : गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

४. **घर वहाल करः** गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रकुनै व्यक्तिवा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गावापोखरी पूरै आंशिकतवरले वहालमादिएकोमाअनुसूची (३) बमोजिम घर जग्गावहाल कर लगाइने र असुलगरिनेछ ।

५. **व्यवसाय करः** गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः** गाउँपालिकाका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्तिवा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरे वापत अनुसूची (५) बमोजिमको कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

७. **विज्ञापन कर** : गाउँपालिकाका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार अनुसूची (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

८. **बहाल बिटौरी शुल्कः**गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका र सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरहरूमा अनुसूची (७) मा उल्लेख भएअनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

९. **सेवाशुल्क, दस्तुर**: गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

१०. **प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग -बिक्री तथा निकासी शुल्क:** गिट्टी बालुवा दहत्तर बहत्तरको संकलन बिक्री र निकासी तथा काठको निकासी गर्दा अनुसूची ९ बमोजिम शुल्क लगाइने छ ।

११. **व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर**: गाउँपालिका भित्र स्थापना हुने व्यवसायहरूको दर्ता तथा संचालित व्यवसायहरूको नवीकरण गर्दा अनुसूची १० मा उल्लेखित दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर लगाइने र अुलउपर गरिनेछ ।

१२. **नक्शापास दस्तुर**: गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्र बन्ने घरहरूको नक्शापास गर्दा अनुसूची ११ मा उल्लेखित नक्शा पास दस्तुर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१३. **अन्य दस्तुर:** गाउँपालिकाले सिफारिस लगायतका शीर्षकहरूमा अनुसूची १२ मा उल्लेखित अन्य दस्तुर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

१४. **दण्ड जरिवाना**: गाउँपालिका भित्र कुनै व्यक्ति, संस्था निकायले स्थानीय कानुन तथा अन्य प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको पाईएमा अनुसूची १३ बमोजिम र उक्त अनुसूची मा उल्लेख नभएको मा प्रचलित कानुन बमोजिम तथा गाउँकार्यपालिकाले तोके बमोजिमको दण्ड जरिवाना गरिने छ ।

१५. **कर छुट:** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन । तर कुनै प्राकृतिक विपत्ती वा महामारीको लगायतका काबु बाहिरको परिस्थितिको कारण सहित राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसको आधारमा कार्यपालिकाले प्रस्तावित गरेमा गाउँसभाले वस्तुगत तथ्यहरु समेतका आधारमा छुट दिन सक्नेछ ।

**१६. कर तथाशुल्क संकलन सम्बन्धीकार्यविधि:** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

# अनुसूची-१

## (दफा२ सँग सम्बन्धित)

| क्र.स. | राजश्वशीर्षक | करयोग्य सम्पत्ति | वार्षिक दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | एकिकृत सम्पत्ति कर | रु. १ देखि पाँचलाखसम्म | १५० | |
| २ | | रु. ५ लाख १देखि १० लाखसम्म | ३०० | |
| ३ | | रु. १० लाख १ देखि ३० लाखसम्म | ५०० | |
| ४ | | रु. ३० लाख १ देखि ५० लाखसम्म | १,००० | |
| ५ | | रु. ५० लाख १देखि १ करोडसम्म | १५०० | |
| ६ | | रु. १ करोड १ देखि २ करोडसम्म | २५०० | |
| ७ | | रु. २ करोड भन्दामाथि | ४००० | |

## अनुसूची-२
## (दफा३ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | भूमिकर (मालपोत) | प्रति रोपनी | रु. ५ | |
| | | | रु. १० | |
| २ | भूमिकर (मालपोत) | प्रतिकित्ता | रु. ५ | वडा नं. ७ फलाटे र ८ भुम्लुटारमा क्षेत्रफलयकिननभएकाजग्गाको हकमा |

## अनुसूची-३
## (दफा४ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | घर बहाल | मासिकबहाल | १० (दस) प्रतिशत | |

# अनुसूची-४

## (दफा५ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | इकाई | दर (वार्षिक) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | व्यवसाय कर | कुटानी पिसानी (ठुलो) | १,५०० | |
| २ | | हार्डवेयर | १५,००० | |
| ३ | | इटा उद्योग | ३,००००० | |
| ४ | | टावर दुरसञ्चार | २५,००० | |
| ५ | | होटल तथा रेष्टुरेण्ट | १५,००० | |
| ६ | | सानाहोटल/चिया पसल | १,००० | |
| ७ | | बजार क्षेत्र होलसेल | १०,००० | |
| ८ | | बजार क्षेत्र खुद्रा | १५,०० | |
| ९ | | ग्रामीण क्षेत्र खुद्रा | १,०००० | |
| १० | | मेडिकल बजार क्षेत्र | ५,००० | |
| ११ | | बैक तथावित्तीय संस्था | १०,००० | |
| १२ | | नीजि स्कुल | १२,००० | |
| १३ | | स:मिल | २५,००० | |
| १४ | | क्रसर उद्योग | २००,००० | |
| १५ | | ल्वकउद्योग (ईट्टा) | १२,००० | |
| १६ | | बालुवावासिङ | ५०,००० | |
| १७ | | हिमपाईप उद्योग | ३५,००० | |
| १८ | | एफ. एम. रेडियो | १,२०० | |

**१ आर्थिक वर्ष नवीकरण व्यवसायिक कर नतिरी अर्को वर्षमा १०% जरिवानालाग्नेछ ।**

## अनुसूची-५
## (दफा६ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | बस्तु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | जडिबुटी कवाडी र जिवजन्तु कर | भैंसी | वटा | रु. १०० | |
| २ | | खसी, बोका | वटा | रु. ५० | |
| ३ | | बुद्धचित्त | के.जी | रु. १० | |

## अनुसूची-६
## (दफा७ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | बस्तु | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | विज्ञापन कर | होर्डिङ बोर्ड | प्रतिवर्ग फुट | रु. ४० | |
| २ | | डि.पि.एस. बार्ड | प्रतिवर्ग फुट | रु. २० | |
| ३ | | ग्लोसाइनबोर्ड | प्रतिवर्ग फुट | रु. ५० | |
| ४ | | भित्ते लेखन | प्रतिवर्ग फुट | रु. ५ | |
| ५ | | पोल बोर्ड | प्रतिवर्ग फुट | रु. २५ | |

## अनुसूची-७
## (दफा८ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | किसिम | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बहाल बिटौरी शुल्क | सार्वजनिकजग्गामा रहेका टहरा | प्रति टहरा वार्षिक | रु. १५०० | |
| २ | | सार्वजनिकजग्गामा रहेकापक्की टहरा | प्रति टहरा वार्षिक | रु. २५०० | |
| ३ | | सार्वजनिकजग्गामा रहेका घर | प्रति घर वार्षिक | रु. ५००० | |

## अनुसूची-८
## (दफा९ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | किसिम | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | सेवा शुल्क (स्थानीय) पूर्वाधार उपयोग शुल्क | स्थानीय सडक प्रयोग शुल्क | प्रति ठुलो गाडी | रु. ५० | |
| २ | | | प्रतिमझौला गाडी | रु. ३० | |
| ३ | | | प्रति साना गाडी | रु. २० | |

## अनुसूची-९

### (दफा १०सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | किसिम | इकाई | दर विक्रीतथा संकलनशुल्क |
|---|---|---|---|---|
| १ | प्राकृतिक स्रोत साधनउपयोग (बिक्रीतथानिकासी) | ढुंगा बालुवागिट्टी | प्रतिक्यूव फिट | रु. ९ (मु.अ.कर बाहेक) |
| २ | | काठ | प्रतिक्यूव फिट | रु. ५ |

## अनुसूची-१०

### (दफा ११सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | किसिम | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | व्यवसायदर्ता | व्यवसायदर्ता | प्रतिव्यवसाय | रु. २५०० | |
| २ | व्यवसायनवीकरण दस्तुर | व्यवसायनवीकरण | प्रतिव्यवसाय | रु. २००० | |
| ३ | अन्य संघ संस्थानवीकरण | नवीकरण | प्रतिव्यवसाय | रु. ५०० | |
| ४ | कामनभएको नवीकरण | नवीकरण | प्रतिव्यवसाय | रु. १०० | |
| ५ | घ वर्गको व्यवसायदर्ता | नयाँ | प्रतिव्यवसाय | रु. ५००० | |
| ६ | | नवीकरण | प्रतिव्यवसाय | रु. २००० | |

**घ वर्गको व्यवसायकालागिश्रावणदेखि असोजसम्मनवीकरण गरिसक्नु पर्नेछ। कात्तिकदेखि पौषसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरण गर्न सकिनेछ।**

# अनुसूची-११

## (दफा १२ सँग सम्बन्धित)

| क.सं. | राजश्वशीर्षक | विवरण | इकाई | दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| | नक्शापास दस्तुर | | प्रतिवर्ग फुट | | |
| 1 | | ***RCC*** सटरवालाप्रतिवर्ग फट | | | |
| 1.1 | | प्रतिवर्ग फुट (पीच वाटोमा) | | 10 | |
| 1.2 | | प्रतिवर्ग फुट (ग्राभेल वाटोमा) | | 9 | |
| 1.3 | | प्रतिवर्ग फुट (कच्ची वाटोमा) | | 8 | |
| 1.4 | | प्रतिवर्ग फुट (गोरेटो वाटोमा) | | 6 | |
| 2 | | ***RCC***वालाप्रतिवर्ग फुट | | | |
| 2.1 | | प्रतिवर्ग फुट (पीच बाटोमा) | | 7 | |
| 2.2 | | प्रतिवर्ग फुट (ग्राभेल बाटोमा) | | 6 | |
| 2.3 | | प्रतिवर्ग फुट (कच्ची बाटोमा) | | 5 | |
| 2.4 | | प्रतिवर्ग फुट (गोरेटो बाटोमा) | | 4 | |
| 3 | | Load Bearing प्रतिवर्ग फुट रु (औसतमा रु ३) | | | |
| 3.1 | | प्रतिवर्ग फुट (पीच बाटोमा) | | 4 | |
| 3.2 | | प्रतिवर्ग फुट (ग्राभेल बाटोमा) | | 3 | |
| 3.3 | | प्रतिवर्ग फट (कच्ची बाटोमा) | | 2 | |
| 3.4 | | प्रतिवर्ग फुट (गोरेटो बाटोमा) | | 1 | |

# अनुसूची-१२
## (दफा १३ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | विवरण | इकाई | दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अन्य दस्तुर | नागरिकतासिफारिस | वटा | १०० | |
| २ | | नाता प्रमाणित | वटा | २०० | |
| ३ | | जन्मदर्ता | वटा | १०० | ३५ दिन भित्र निःशुल्क |
| ४ | | मृत्यु दर्ता | वटा | १०० | ३५ दिन भित्र निःशुल्क |
| ५ | | विवाहदर्ता | वटा | १०० | ३५ दिन भित्र निःशुल्क |
| ६ | | बसाई सराई | वटा | ५०० | ३५ दिन भित्र निःशुल्क |
| ७ | | सम्बन्ध विच्छेद | वटा | १०० | ३५ दिन भित्र निःशुल्क |
| ८ | | जग्गासिफारिस | वटा | २०० | |
| ९ | | सम्पत्तिमूल्यांकनसिफारिस (करिब ४० रोपनीको दरले) | वटा | रू १००/ प्रतिलाखमा | |
| १० | | आय स्रोत सिफारिस | वटा | रू १००/प्रति लाखमा | |
| ११ | | अन्यसिफारिस | वटा | १०० | |

## अनुसूची-१३
## (दफा १४ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | विवरण | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | दण्ड जरिवाना | दहत्तर बहत्तर र काठ अवैध रुपमाचोरी निकासी गरेमा | स्काभेटर, | सामान जफत गरी रु. २५००० | पहिलो पटक |
| २ | | | भ्याकुलोडर प्रति टिपर | सामान जफत गरी रु. २०००० | पहिलो पटक |
| ३ | | | प्रति टिपर, मभ्कौला र सानो गाडी | सामान जफत गरी रु. १५००० | पहिलो पटक |
| ४ | | सडक किनारामानिर्माण सामग्रीथुपारेमा | प्रतिदिन | सामान जफत गरी रु १००० | |

**यस्तो दण्ड जरिवानालाग्ने कार्य एक आ.व.मा पुनः दोहोरिएमा जरिवाना दर माथिउल्लेख भएको दरमा दोब्बर हुँदै जाने छ र चौथो पटक पनि यस्तो कार्य गरेमा सम्बन्धति सवारी साधनसमेत जफतगरिनेछ।**

## अनुसूची-१४
## (दफा १५ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | राजश्वशीर्षक | किसिम | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | व्यवसायदर्ता नवीकरण दस्तुर | व्यवसाय दर्ता | प्रतिव्यवसाय | रु. १००० | |
| २ | | व्यवसाय नवीकरण | प्रतिव्यवसाय | रु. ५०० | |

**आज्ञाले,**
**हरिबल्लभ घिमिरे**
**प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत**